

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 12 अप्रैल 2016 ई0

चैत्र,22 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 182 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2018

देहरादून, 12 अप्रैल, 2018

<u>अधिसूचना</u>

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड भाषा संस्थान विधेयक, 2018 को दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16 वर्ष 2018 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 {उत्तराखण्ड अधिनियम संख्याः 16 वर्ष 2018}

(उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा भारतीय गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में अधिनियमित)

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की स्थापना तथा संबंधित एवं आनुषंगिक विषयों एवं अकादिमयों की व्यवस्था के लिये—

अधिनियम

अध्याय—1 पारम्भिक

प्रारम्भिक						
संक्षिप्त नाम,	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 है।				
विस्तार एवं		(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।				
प्रारम्भ		(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।				
परिभाषाएं	2.	जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में— (क) "संस्थान" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अभिप्रेत है; (ख) "अधिसूचना" से उत्तराखण्ड सरकार के गजट में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है; (ग) 'साधारण सभा" से संस्थान की साधारण सभा अभिप्रेत है; (घ) "समिति" से भाषा संस्थान प्रबंध कार्यकारिणी की समिति अभिप्रेत है; (इ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है; (इ) "अकादमी" से उत्तराखण्ड हेन्दी अकादमी, उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी, उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी एवं उत्तराखण्ड लोकभाषा व बोली अकादमी अभिप्रेत है; (ज) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है; (झ)"गैर सरकारी सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी संगठन / संस्था का प्रतिनिधि हो किन्तु सरकारी सदस्य न हो; (ज) "अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष" से उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अभिप्रेत है; (ट) "निदेशक" से भाषा संस्थान के निदेशक अभिप्रेत है; (ठ) "उप निदेशक" से उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी, उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी, उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी एवं उत्तराखण्ड लोकभाषा व बोली अकादमी के उप निदेशक अभिप्रेत है; (ढ) "सदस्य" से साधारण सभा एवं प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सदस्य अभिप्रेत है; (ढ) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;				
भाषा संस्थान की स्थापना	3.	अध्याय—2 उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की स्थापना इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भाषा संस्थान का गठन करेगी, जो उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के नाम से जाना जायेगा, जिसका मुख्यालय देहरादून में होगा।				

4.				
I I	उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की साधारण सभा की संरचना निम्नानर	नार होगी:		
		अध्यक्ष (पदेन);		
	, ,	कार्यकारी अध्यक्ष (पदेन)		
	· /	उपाध्यक्ष;		
		सदस्य (पदेन);		
	(ज) राज्य सरकार द्वारा नामित उत्तराखण्ड के किन्हीं दो	सदस्य ;		
	(झ) राज्य सरकार द्वारा नामित देश एवं प्रदेश के ऐसे 12 भाषाविद् एवं संबंधित विषयों के साहित्यकार, जैसा	सदस्य ;		
		सदस्य (पदेन);		
	(ट) वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान	सदस्य (पदेन);		
5.	(ठ) निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान	सदस्य सचिव (पदेन)।		
	प्रबंध कार्यकारिणी समिति की संरचना निम्नवत होगी:			
	(1)अध्यक्ष— मुख्यमंत्री / भाषा मंत्री, उत्तराखण्ड; (2)कार्यकारी अध्यक्ष— प्रमुख सचिव / सचिव, भाषा विभाग, व्राप्त स्थ— प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग, व्राप्त सचिव, उच्च शिक्षा, उप्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा, उप्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग, व्राप्त सचिव, उच्च शिक्षा, उप्रमुख सचिव / सचिव, वित्र विभाग, व्राप्त सचिव, उच्च शिक्षा, उप्रमुख सचिव / सचिव, विभाग, व्राप्त सचिव, उच्च शिक्षा, उप्रमुख सचिव / सचिव, विभाग, व्राप्त सचिव, उच्च शिक्षा, उप्रमुख सचिव / सचिव, विभाग, व्राप्त सचिव, उच्च शिक्षा, उप्रमुख सचिव / सचिव, विभाग, व्राप्त सचिव, उच्च शिक्षा, उप्रमुख सचिव / सचिव, विभाग, व्राप्त सचिव, उच्च शिक्षा, उप्रमुख सचिव / सचिव, विभाग, व्राप्त सचिव, विक्रा शिक्षा, उपराचिव, विभाग, व्राप्त सचिव, विक्र सचिव, सचव, विक्र	उत्तराखण्ड शासन; उत्तराखण्ड शासन; न विभाग, उत्तराखण्ड ;		
6.	तीन (03);			
	(8)सदस्य– वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड हिन	दी अकादमी।		
	(क) प्रबंध कार्यकारिणी समिति सरकार को इस अधिनियम के अधीन उत्पन्न समस्त प्रकरणों पर परामर्श देगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करेगी, जो विहित किये जायें; (ख) सामान्यतः या किसी प्रयोजन के लिये संस्थान के कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु एक या अधिक उप समितियों का गठन करना; (ग) अपने कार्य संचालन और प्रशासन के लिये समय—समय पर नियम बनाना, इनका अनुपालन करना, उनमें परिवर्तन करना; (घ) संस्थान के उद्देश्यों के अनुरूप कार्यक्रम एवं योजनाओं को पारित करना; (इ) संस्थान के प्रयोजन के लिये किसी सम्पत्ति को क्रय करना (विनिमय करना), किराये पर लेना अथवा अर्जित करना या उसका निस्तारण करना अथवा सम्पत्ति को दान स्वरूप प्राप्त करना तथा कार्योपरान्त इसकी सूचना राज्य सरकार को देना।			
	 6. 	उत्तराखण्ड भाषा संस्थान की साधारण सभा की संरचना निम्नानुस् (क) मा० मुख्यमंत्री (ख) मा० भाषा मंत्री (ग) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति (घ) प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन। (इ) प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन। (च) प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन। (छ) प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन। (ज) राज्य सरकार द्वारा नामित उत्तराखण्ड को किन्हीं दो विश्वविद्यालय के कुलपित (झ) राज्य सरकार द्वारा नामित देश एवं प्रदेश के ऐसे 12 भाषाविद एवं संबंधित विषयों के साहित्यकार, जैसा विहित किया जाय, (ञ) सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी (ट) वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान (ठ) निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान (ठ) भाषाविद प्रमुख सचिव / सचिव, भाषा विभाग, प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग, प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग, प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा, उपमुख सचिव / सचिव, जच्च शिक्षा, उपलुख सचिव / सचिव, जच्च शिक्षा, उपलुख सचव / सचिव / सचव /		

(क) संस्थान के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त साधारण सभा एवं प्रबंध कार्यकारिणी का प्रत्येक सदस्य अपने नामित होने की तिथि से 03 वर्ष के लिये पद धारण करेगाः परन्तु जो व्यक्ति किसी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य होगा उस संगठन द्वारा उसका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिये जाने पर वह सदस्य नहीं रहेगा; (ख) सदस्य, संस्थान की सदस्यता से हटाने की स्थिति में राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा; (ग) संस्थान का कोई भी सदस्य, सदस्य नहीं रहेगा, यदि उसकी मृत्यु हो जाए, विकृत मित्तिष्क का हो जाये, अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया जाय अथवा नैतिक पतन संबंधी दण्डापराध के लिये न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हुआ हो। किसी रिक्ति में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति पूर्ववर्ती सदस्य के अवशेष कार्यकाल तक पद धारण करेगा।
 (क) साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की बैठक त्रैमासिक होगी, परन्तु यदि आवश्यक समझा जाये तो कभी भी बैठक आहूत की जा सकती है; (ख) बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/2 होगी, जिसमें संस्थान का वार्षिक बजट, कार्यक्रम एवं योजनाएं प्रस्तुत और पारित की जाएंगी; (ग) संस्थान की किसी बैठक में सभी मामलों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा। मतों की समानता की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का निर्णायक मत होगा; (घ) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया हो।
राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से राज्य में बोली जाने वाली विभिन्न समुदाय की भाषा एवं बोलियों के विकास एवं संवर्धन हेतु संस्थान के अंतर्गत निम्नलिखित अकादिमयां होगी, जो संस्थान की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी:— (क) उत्तराखण्ड हिन्दी अकादिमी; (ख) उत्तराखण्ड उर्दू अकादिमी; (ग) उत्तराखण्ड पंजाबी अकादिमी; (घ) उत्तराखण्ड लोकभाषा व बोली अकादिमी। उपर्युक्त अकादिमयों का संचालन धारा 11 के प्रावधानों के अधीन होगा।
(क) साधारण सभा एवं प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय एवं कार्यों को कार्यान्वित करने के लिये संस्थान में एक निदेशक की नियुक्ति कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा की जायेगी, जो कि अपर सचिव स्तर से न्यून न हो;
(ख) निदेशक, संस्थान के प्रशासन का सामान्य नियंत्रण करेगा। निदेशक के कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण इस अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले नियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा; (ग) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपर्युक्त प्रत्येक अकादमी में उप निदेशक की

		नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। उप निदेशक, निदेशक के अधीन संबंधित		
संस्थान की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना	12.	अकादिमयों का संचालन करेगा। उप निदेशक के कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण भी इस अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले नियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा; इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये धारा 10 में उल्लिखित अकादिमयों में उप निदेशक के पद राज्य सरकार पृथक रूप से कार्य, दायित्व एवं आवश्यकता के आधार पर सृजित करेगी। (घ) राज्य सरकार संस्थान के कार्यों के समुचित निस्तारण के लिये ऐसी संख्या में ऐसे वेतनमान पर पद सृजित करेगी जैसा समय—समय पर विहित किया जाय; (इ) संस्थान के अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं उनकी सेवा शर्तें ऐसी होगीं जैसा		
संस्थान के आदेशों का अधिप्रमाणीकरण	13.	संस्थान का कोई कार्य इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि:— (क) संस्थान के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है; (ख) अध्यक्ष या उसके अन्य सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है, या (ग) ऐसी कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है, जिसका कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ता है।		
संस्थान की शक्तियां और उद्देश्य	14.	संस्थान के सभी विनिश्चय और आदेश निदेशक द्वारा अथवा इस निमित्त निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे। निदेशक आवश्यकतानुरूप अपने कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रतिनिधायन भी कर सकेगा।		
		अध्याय—3		
		संस्थान की शक्तियां, उद्देश्य और कार्य का आवंटन		
लेखों का रख—रखाव	15.	 (क) संस्थान कार्यदायी संस्था के रूप में सम्पूर्ण राज्य में कार्य करेगा और भाषा संबंधी योजनाओं एवं कियाकलापों का संचालन करेगा एवं आवश्यकतानुसार राज्य के हित में भारत वर्ष के विभिन्न प्रदेशों और संघीय राज्यों में भी भाषा संबंधी कार्य करेगा; (ख) संस्थान के विस्तृत उद्देश्यों एवं कार्यों का निर्धारण इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों एवं विनियमों द्वारा किया जायेगा; (ग) संस्थान ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसी समय–समय पर विहित की जायें। 		
		अध्याय—4		
		वित्त एवं लेखा		
		(क) राज्य सरकार द्वारा वित्त एवं लेखा सेवा के एक ऐसे वरिष्ठ लेखा अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी जो संस्थान के समुचित लेखा तथा अन्य सम्बद्ध अभिलेखों के सम्बन्ध में उत्तरदायी होगा। वह लेखे का वार्षिक विवरण एवं बैंलेस शीट तैयार कराएगा तथा अन्य वित्त संबंधी कार्य करेगा;		

		(ख) संस्थान के लेखों की सम्परीक्षा राज्य सरकार की स्वीकृति से नियुक्त किये गये लेखा परीक्षकों द्वारा प्रतिवर्ष की जायेगी।
वार्षिक रिपोर्ट	16.	
निरीक्षण	17.	अध्याय—5 प्रकीर्ण संस्थान प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, वार्षिक
नियम बनाने की शक्ति	18.	रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें गत वर्ष के कार्यकलाप का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा। वार्षिक रिपोर्ट को प्रतिवर्ष विधान सभा पटल पर रखा जाएगा।
सद्भावना से किये गये कार्य	19.	यह समाधान करने के लिये कि इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्राविधानों का अनुपालन किया जा रहा है, निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी संस्थान की किसी भी अकादमी/शाखा का निरीक्षण कर सकेंगे।
का संरक्षण		(1) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से साधारण सभा एवं प्रबंधकार्यकारिणी इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बना सकेगी या उन्हें संशोधित कर सकेंगी। (2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियम इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे।
		(3) इस धारा के अधीन बनाये गये नियम शीघ्रातिशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जायेगें।
		संस्थान अथवा उसके किसी अकादमी के किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशायित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

THE UTTARAKHAND LANGUAGE INSTITUTIONS ACT, 2018 [UTTARAKHAND ACT NO. 16 OF 2018]

[Enacted by Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty-Ninth year of the Republic of India]

AN ACT

to establish the Uttarakhand Language Institution and to provide the Academies and the connected and incidental matters thereof;

CHAPTER-1 Preliminary

Short title, Extent and Commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Language Institutions Act, 2018.
 - (2) It shall extend to the whole of Uttarakhand.
 - (3) It shall come into force at once.

Definitions

- 2. In this Act, unless the context otherwise requires -
 - (a) "Institution" means the Uttarakhand Language Institution constituted under section 3 of the Act;
 - **(b) "Notification"** means the Notification published in the Gazette of Uttarakhand Government;
 - (c) "General body" means the General body of the Institution;
 - (d) "Committee" means the Managing Executive Committee of the Language Institution;
 - **(e) "Government"** means the State Government of Uttarakhand:
 - **(f) "Prescribed"** means the prescribed rules and procedures under the Act;
 - (g) "Academy" means the Uttarakhand Hindi Academy, Uttarakhand Urdu Academy, Uttarakhand Punjabi Academy and Uttarakhand Regional Language and Boli (dialect)Academy.
 - (h) "State" means the State of Uttarakhand;
 - (i) "Non-official member" means such person who is representative of any organization/institution but not Government Member;
 - (j) "Chairman, Executive Chairman and Vice-chairman" means the Chairman, Executive Chairman and Vice-chairman of

the Uttarakhand Language Institution;

- (k) "Director" means the Director of the Language Institution;
- (I) "Deputy Director" means the Deputy Director of the Uttarakhand Hindi Academy, Uttarakhand Urdu Academy, Uttarakhand Punjabi Academy and Uttarakhand Regional Language and Boli (dialect)Academy;
- (m) "Member" means the members of the General body and Managing Executive Committee;
- (n) "Year" means the financial year;

CHAPTER-II

Establishment of the Uttarakhand Language Institution

Establishment of the Language Institution

3. The State Government, as soon as may be after the commencement of this Act, shall constitute a Language Institution for the fulfillment of the purposes of this Act, which shall be known as the Uttarakhand Language Institution, whose head-quarter shall be in Dehradun.

Committee Composition of the Language Institution

- **4.** The General body of the Uttarakhand Language Institution shall be constituted as follows,-
 - (a) Hon'ble Chief Minister- Chairman (ex-officio);
 - (b) Hon'ble Language Minister- Executive Chairman (Exofficio);
 - (c) An Eminent person nominated by the State Government-Vice-chairman;
 - (d) Principal Secretary/ Secretary, Finance, Government of Uttarakhand- Member (ex-officio);
 - (e) Principal Secretary/ Secretary, Higher Education, Government of Uttarakhand- Member (ex-officio);
 - (f) Principal Secretary/ Secretary, Language, Government of Uttarakhand- Member (ex-officio);
 - (g) Principal Secretary/ Secretary, Planning,

Government of Uttarakhand- Member (ex-officio);

- (h) Vice-chancellor of any two Universities nominated by the State Government
 Members;
- (i) such 12 linguist and litterateur of relating subjects of the Country and State nominated by the State Government, as may be prescribed- Members;
- (j) Secretary, Uttarakhand Sanskrit Academy- Member (exofficio);
- (k) Senior Finance Officer, Uttarakhand Language Institution-

Member (ex-officio);

(l) Director, Uttarakhand Language Institution- Member-secretary (ex-officio).

Composition of Managing Executive Committee

- 5. The Managing Executive Committee shall be constituted as follows-
 - (1) Chairman- Chief Minister/Language Minister, Uttarakhand;
 - (2) Executive Chairman- Principal Secretary/ Secretary, Language Department, Government of Uttarakhand;
 - (3) Member- Principal Secretary/ Secretary, Finance, Government of Uttarakhand;
 - (4) Member- Principal Secretary/ Secretary, Higher Education, Government of Uttarakhand;
 - (5) Member- Principal Secretary/ Secretary, Planning, Government of Uttarakhand;
 - (6) Member Secretary, Uttarakhand Sanskrit Academy;
 - (7) Member- Three (03) litterateurs of institutions nominated by the Government of Uttarakhand;
 - (8) Member- Senior Account officer, Uttarakhand Hindi Academy.

Duties and powers of the Chairman, Executive Chairman, Vicechairman and Members 6.

(a) The Managing Committee shall advise the

State Government on all matters arise under this Act and shall exercise such other powers and perform the duties, as may be prescribed;

- (b) To constitute one or more sub committees, generally or for any purposes, for the implementation of the business of the institution;
- (c) To make rules from time to time for their conduct of business and administration, their compliance and modification;
- (d) To pass programs and plannings according to the objectives of the Institute.
- (e) To purchase any property, to exchange, to take on rent or to acquire or their disposal or to get property as a gift and to intimate the State Government after these functions for the purpose of the Institution.

Term of office and 7. service conditions of the Members

(a) Every Member of the General Body and Managing Committee in addition to ex-officio member of the institution shall hold the office for three years from the date of his

nomination;

Provided that any person who is member as a representative of any organization shall not remain member on cessation of his representation by such organization.

- (b) The member may resign his office any time by writing under his hand addressed to the state Government in case of withdrawal from the membership of the Institution.
- (c) Any member of the Institution, shall not remain member if he dies, becomes of unsound mind or declared undischarged insolvent or convicted by the court for an offence related to moral turpitude.

Filling the casual 8. vacancies of the Members

The person nominated by the State Government in any vacancy shall hold the office for the remaining tenure of the predecessor member.

Meeting, decision and 9. quorum

- (a) The meeting of General Body and Management committee shall be held quarterly but if deemed necessary than the meeting may be convened any time.
- (b) The quorum of meeting shall be half of total number of members in which the annual budget, the programs and plannings of the Institution shall be presented and passed.
- (c) The determination of all matters in any meeting of the institution shall be decided by the majority of the members present and voting. In case of equality of the vote, the vote of presiding member shall be casting vote;
- (d) In absence of Chairman, the Executive Chairman, in absence of Executive Chairman, the Vice-chairman and in absence of Vice-chairman, such member who is nominated by the Chairman, shall preside the meeting.

Establishment of Academies under the **Language Institution**

- For development and promotion of language and dialect of various communities in the State, the following Academies shall be constituted under the Institution with the prior approval of the State Government, which shall be functioned as branches of the Institution-
- (a) The Uttarakhand Hindi Academy;
- (b) The Uttarakhand Urdu Academy;
- (c) The Uttarakhand Punjabi Academy;
- (d) The Uttrakhand Regional Language and Boli (dialect) Academy.

The functions of the above said Academies shall be under the provisions of section 11.

the Institution

Officer and Staff of 11. (a) A Director for the Institution shall be appointed by the Personnel Department, Government of Uttarakhand, for the implementation of functions and decision taken by the General Body and managing committee, who is not below the rank of Additional secretary;

- (b) The Director shall control the general administration of Institution. The determination of functions and duties of the Director shall be specified by the rules or regulations made under this Act.
- (c) For the purposes of this Act, a Deputy Director shall be appointed by the State Government in every a foresaid Academies. The Deputy Director shall operate the concerning academies under the Director. The determination of functions and duties of the Deputy Director shall also be specified by the rules or regulations made under this Act;

For the purposes of this Act, the post of Deputy Director in academies mentioned in section 10 shall be created by the State Government separately on the basis of functions, duties and necessity.

- (d) For the appropriate disposal of the functions of the institution, the State Government shall create such number of posts on such pay scale as prescribed from time to time;
- (e) The pay, allowances and service conditions of the officers and employees of the Institution shall be such as may be prescribed by the State Government from time to time.

Proceedings of the 12. institution not to be invalidated

- 2. No work or proceeding of the Institution shall be deemed to be invalid merely on the ground of
 - (a) any vacancy or defect in the constitution of the Institution;
 - (b) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as the Chairman or other Member thereof; or
 - (c) any defect or irregularity in such proceeding not affecting the substance.

Authentication of the 13. orders of the Institution

All the decisions and orders of the Institution shall be authenticated by the signature of the Director or any other officer authorised by the Director for this purpose. The Director may also delegate his duties and powers as per necessity.

CHAPTER-III

Powers, objectives and allocation of work of the Institution

Powers and objectives 14. of the Institution

- (a) The Institution shall act in whole of State as a nodal institution and shall conduct the language relating planning and implementation and shall also conduct language related works in the various States and Union Territories of the India in the interest of the State as per necessity;
- (b) The determination of detailed objectives and functions of the institutions shall be determined by the rules and regulations

made under this Act;

(c) The institution shall perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed from time to time.

CHAPTER-IV

		Finance and Account
Maintenance of Accounts	15.	(a) One such Senior Account Officer shall be appointed from the Finance and Accounts services by the State Government who shall be responsible for appropriate accounts and other relating record of the institution. He shall also prepare annual statement and balance sheet and conduct other financial work of accounts.
		(b) The audit of the account of the Institution shall be done annually by the Auditors appointed with the permission of the State Government.
		CHAPTER-V
		Miscellaneous
Annual Report	16.	The Institution shall prepare an annual report every year, in such form and in such manner as may be prescribed, in which correct and full details of affairs of previous year shall be given. The annual report shall be laid before the house of the State Legislative Assembly every year.
Inspection	17.	The Director or any officer authorized by him may inspect any Academy/branches of the Institution to satisfied that this Act and the provisions of rules and regulations made under it are complied with.
Power to make rules	18.	(1) The General Body and Management Committee may make rules for the implementation of the object of this Act and may amend them with the prior approval of the State Government.
		(2) The rules made under sub-section (1) shall not be inconsistent with the provisions of this Act.
		(3) The rules made under this section shall be laid before the Legislative Assembly as soon as possible.
Protection of action	19.	No suit, prosecution or other proceeding may lie against

Institution or any person of any Academy for any act which is in good faith done or intended to be done under this Act.

taken in good faith